

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

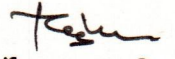
क्रमांक:- एफ.2 (क) (जी-328) अलेसे- I/1548

दिनांक:- 28/01/2021

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिक की आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 25-ए के नीचे उद्धृत 7(8)(B)(III) के अन्तर्गत उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 6 में अंकित अवधि को नियमित करते हुए एवं कॉलम संख्या 5 में अंकित चुनाव आदर्श आचार संहिता की अवधि को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.1(1)वित्त (नियम)/2007 दिनांक 06.08.2018 के अनुसरण में नियमित करते हुए कॉलम संख्या 7 में अंकित अवधि के वेतन आहरण की कॉलम संख्या 8 में अंकित विभाग/कार्यालय से करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क. सं.	लिक नं.	नाम कार्मिक मय पद (सर्वश्री)	अवधि			अवधि/ माह जिसका वेतन भुगतान किया जाना है	प्रस्तावित कार्यालय जहाँ से भुगतान किया जाना है
			आदेशों की प्रतीक्षा अवधि	चुनाव आचार संहिता की अवधि	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि (आचार संहिता की अवधि को घटाते हुए)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	9425	श्री गुगनराम तेतरवाल, सलेअ-।	दि. 06.11.2020 से 15.12.2020 तक	दि. 06.11.2020 से 11.12.2020 तक (जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव, 2020)	04 दिवस (दिनांक 12.12.2020 से 15.12.2020)	दिनांक 06.11.2020 से 15.12.2020 तक	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चूरु


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (जी-328) अलेसे- I/1548

दिनांक:- 28/01/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चूरु को भेजकर लेख है कि संबंधित लेखाकर्मी का गत भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार आदेशों की प्रतीक्षावधि के वेतन का भुगतान करावें।
- 2 कोषाधिकारी, चूरु।
- 3 उपनिदेशक(एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 4 श्री गुगनराम तेतरवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, कार्यालय-विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चूरु।
- 5 निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 6 निजी पत्रावली।


(कुसुम मीणा)
सहायक निदेशक (कार्मिक-।)